



लालबन्दी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८०



नगर सभाबाट पारित मिति : २०८०/०३/२५



लालबन्दी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
लालबन्दी, सलही
मधेश प्रदेश, नेपाल

“लालबन्दी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८०”

नगरसभाबाट पारित मिति : २०८०/०३/२५

लालबन्दी नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना : लालबन्दी नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर, शुल्क तथा दस्तुर संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न बाज्यनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम लालबन्दी नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “लालबन्दी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८०” रहेको छ। (२) यो ऐन २०८० साल श्रावण १ गते देखि लालबन्दी नगरपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ । यस सम्बन्धमा यस अधि भैरहेको व्यवस्था यसै बमोजिम भएको मानिनेछ ।

२. सम्पत्ति कर तथा भूमि कर(मालपोत) : (१) लालबन्दी नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको घर र सोले चर्चेको (प्लेन्थ एरियाको दोब्बरसम्म) जग्गामा अनुसूचि (१) बमोजिम सम्पत्ति कर लगाउनेछ ।

(२) नगरपालिका क्षेत्रभित्र दफा २(१) बमोजिम सम्पत्ति कर लागेको घरजग्गा बाहेकको अन्य जग्गामा बक्यौता रकम असुल गर्दै अनुसूचि (१)(क) बमोजिम भूमिकर (मालपोत) लगाउनेछ ।

३. घर, जग्गा बहाल कर : नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छाप्रो, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा लिए दिएको अनुसूचि (२) बमोजिम घर जग्गा बहाल कर लगाईने र असूल गरिनेछ । बहाल सम्भौतामा अर्को व्यवस्था भएकोमा वाहेक बहाल कर तिर्ने दायित्व घर/जग्गा धनिको हुनेछ ।

४. व्यवसाय कर : नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारका आधारमा अनुसूचि(३) बमोजिम व्यवसाय कर लगाईने र असूल उपर गरिनेछ । उक्त सम्बन्धमा यस नगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता नगरी व्यवसाय संचालन गरिरहेकाहरूको हकमा कुनै उजुर वा नगरपालिकाको अनुगमन/सुपरिवेक्षण गर्दा अटेर गरी व्यवसाय संचालन गर्नेलाई लाग्ने व्यवसाय दर्ता दस्तुरको दोब्बर जरिवाना सहित व्यवसाय दर्ता गर्न लगाउने । व्यवसायिले आफुले गरेको व्यापार व्यवसायमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यसूचि दर्खिने र बुझिने गरि प्रष्ट रूपमा राख्नु पर्नेछ । अनुगमन गर्दा मूल्य सूचि राखेको नपाईएमा त्यस्ता व्यवसायीलाई प्रथम पटक रु.१००/- र सो पश्चात रु.५००/- जरिवाना गर्दै थप कार्वाही गरिनेछ ।

५. जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर : नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वन पैदावार, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता वस्तुको व्यवसायिक कारोबार गरेवापत अनुसूचि(४) बमोजिमको कर लगाईने र असूल उपर गरिनेछ ।

६. सवारी दर्ता तथा नवीकरण दस्तुर : नगरपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूचि (५) बमोजिम सवारी दर्ता तथा नवीकरण दस्तुर लगाईने र असूल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्य व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।

७. विज्ञापन कर : नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने होर्डिङ्गबोर्ड लगायत विज्ञापनमा अनुसूचि (६) बमोजिम होर्डिङ्ग बोर्ड लगायतसँग सम्बन्धित विज्ञापन कर लगाईने र असूल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्य व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।

८. मनोरञ्जन कर : नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा प्रदेशको आर्थिक ऐनले निर्धारण गरे अनुसार अनुसूचि (७) बमोजिम मनोरञ्जन कर लगाईने र असूल उपर गरिनेछ ।

- ९. बहाल विटौरी शुल्क :** नगरपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेको वा सार्वजनिक, ऐलानी, अव्यवस्थित जग्गा एवं खुला क्षेत्रमा अनुसूचि (८)मा उल्लेख भए अनुसार हाट बजार वा पसलमा सोही अनुसूचिमा भएको व्यवस्था अनुसार बहाल विटौरी शुल्क लगाईने र अशुल उपर गरिनेछ । यस नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रका सार्वजनिक, ऐलानी, अव्यवस्थित जग्गा एवं आफ्नै वा सार्वजनिक/सामुदायिक विद्यालयको स्वामित्वको जग्गाको परिधि भित्र रहेको खाली जग्गा, भौतिक निर्माण वा स्टलको आवश्यकता अनुसार स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ तथा नगर शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम विभिन्न प्रकारका हाट बजार लगायत अन्य ठेक्का वा बहाल लगाई अनुसूचि(८)(क) बमोजिम कर, दस्तुर तथा सेवा शुल्क अशुल गर्न सक्नेछ ।
- १०. पार्किङ शुल्क :** नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए बापत अनुसूचि (९) बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाईने र असूल उपर गरिनेछ ।
- ११. ट्रेकिङ, कोयोकिङ, क्यानोर्डिङ, बन्जी जम्पिङ, जिपफ्लायर र च्याप्टीइंग शुल्क :** नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ, कोयोकिङ, क्यानोर्डिङ, बन्जी जम्पिङ, जिपफ्लायर र च्याप्टीइंग सेवा व्यवसाय संचालन गरेवापत अनुसूचि (१०) बमोजिमको शुल्क लगाईने र असूल उपर गरिनेछ।
- १२. सेवा शुल्क, दस्तुर :** नगरपालिकाले निर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेको अनुसूचि (११) मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराईएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचिमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क र दस्तुर लगाईने र असूल उपर गरिनेछ ।
- १३. जग्गा प्लाटिङ :** नगरपालिकाले कानुनले तोके बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरि जग्गा प्लाटिङ गर्दा लाग्ने शुल्क अनुसूची (१२) बमोजिम हुनेछ । साथै नगरपालिकाले प्रक्रिया पुरा गरि प्लाटिङको परमिट तथा घडेरी खार्ने तथा पुर्ने अनुमति प्रदान गर्ने शुल्क समेत सोही अनुसूची बमोजिम हुनेछ ।
- १४. नक्सापास सम्बन्धमा :** नगरपालिका क्षेत्र भित्र नक्सापास गर्दा लाग्ने दस्तुर अनुसूची (१३) बमोजिम लगाईने तथा असूल उपर गरिनेछ ।
- १५. सरसफाई शुल्क :** नगरपालिका क्षेत्रभित्र सरसफाई सेवा दिए वापतको सरसफाई शुल्क अनुसूची (१४) बमोजिम लगाईने तथा असूल उपर गरिने छ ।
- १६. भाडा दस्तुर :** नगरपालिकाले दिने अन्य सेवाहरूको भाडा दर अनुसूचि (१५) बमोजिम लगाईने तथा असूल उपर गरिने छ ।
- १७. प्राकृतिक श्रोत संकलन एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी :** ढुङ्गा, गिद्धी, बालुवा, चुनढुङ्गा, अभ्रख र दहतर बहतरमा प्राकृतिक श्रोतको करको दर र प्रक्रिया प्रदेशले निर्धारण गरे अनुसार संकलन गरिने छ ।
- १८. अन्य कर, दस्तुर, सेवा शुल्क :** माथि उल्लेख बाहेकका अन्य कर, दस्तुर, सेवा शुल्क आदिका सम्बन्धमा अनुसूची (१६) बमोजिम हुनेछ ।
- १९. दण्ड जरिवाना :** नगरपालिकाले स्वीकृत गरेको कानुनको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई अनुसूची (१७) बमोजिम दण्ड वा जरिवाना गरिने छ ।
- २०. राजश्व अभिवृद्धि सम्बन्धी योजना :** नगरपालिकाले आन्तरिक आय अभिवृद्धिको लागि राजश्व अभिवृद्धि सम्बन्धी योजना क्रियाकलाप आगमी दिनमा तय गर्नेछ । नगरपालिकाले आफुले निर्माण गरेको घर, संरचना वा जग्गा नगर कार्यपालिकाले तोके बमोजिम बहालमा लगाउनेछ । नगरपालिका क्षेत्रका सार्वजनिक, पर्ति वा ऐलानी जग्गामा सार्वजनिक पोखरी, पार्क उद्यान तथा फलफुल बगैँचा लगायत निर्माण गरि सेवा शुल्क अशुल गर्न सक्नेछ ।
- २१. सङ्कलित रकमको राजश्व बाँडफाँड :** नेपालको संविधान, संघीय कानुन तथा प्रदेशको कानुन बमोजिम तथा केन्द्रीय सरकारको निर्देशन बमोजिम सङ्कलित रकमको बाँडफाँड गर्नु पर्ने भएमा सोहि बमोजिम गरिने छ ।

- २२. करछुट :** (१) यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएको व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई कुनै किसिमको कर छुट दिईने छैन ।
 (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि दफा ४ अनुसारको व्यवसाय कर तिर्ने दायित्व भएका व्यवसायीहरू हालसम्म दर्ता हुन नआएका र चालु आ.ब. भन्दा ३ आ.ब. वा सो भन्दा अधि दर्ता भई कर तिरे पश्चात नविकरण गर्न नआएका व्यवसायिहरूलाई एक पटकको लागि विगत ३ वर्षको कर र चालु आ.ब.को कर दाखिला गरेमा सो अधिको व्यवसायकर र दण्ड जरिवाना रकम छुट गरी व्यवसाय दर्ता र नविकरण गरिनेछ ।
 (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि महिलाको नाममा दर्ता भई सञ्चालन हुने व्यवसायमा २० प्रतिशत व्यवसाय दर्ता शुल्कमा छुट दिईनेछ । साथै अनुसूचि ११ मा उल्लेखित सेवा शुल्क तथा दस्तुरको महलमा निःशुल्क भनि उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम छुट दिईनेछ ।
- २३. कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्ध कार्यविधि :** यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि नगर कार्यपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ । यस ऐन बमोजिम नगरपालिकाले तोकेको कानून बमोजिमको कर संकलन, दाखिला एवं राजश्व परिचालनमा बाधा, विरोध गर्नेलाई पहिलो पटक सचेत गराउने, पुनः त्यस्तो प्रवृत्ति देखाउनेलाई एकमुष्टि रु.५ हजार जरिवाना गर्ने र फेरी दोहोच्याएमा पटके दोब्बर रूपले जरिवाना अशुल उपर गर्दै थप कार्वाही गर्ने, त्यस्तै, नगरपालिकाले उठाउने कर, शुल्क, दस्तुर आदी नगरपालिका आफै वा आवश्यकता अनुसार ठेकका मार्फत उठाउन सक्नेछ । ठेकका मार्फत उठाउँदा कबोलकर्ता(ठेकेदार)ले कानूनले तोके बमोजिम वा स्थानीय राजपत्रमा उल्लेख भएको भन्दा बढी दरमा र सम्झौतामा तौकिएभन्दा बाहेकका क्षेत्रमा रकम उठाउन पाईने छैन । यदी उठाएमा प्रथम पटकको लागी रु.१० हजार जरिवाना गर्ने र फेरी दोहोच्याएमा पटके दोब्बर रूपले तेश्रो पटक सम्म जरिवाना लाग्नेछ । चौथो पटक पर्नि त्यस्तो कार्य गरेको पाईएमा उक्त कबोलकर्ता(ठेकेदार)लाई कालो सूचिमा राखी थप कार्वाही गरिनेछ । यस सम्बन्धमा नगरपालिकाले नेपाल प्रहरी वा अन्य सुरक्षाकर्मीको सहयोग लिई आवश्यक कार्वाही गर्न सक्नेछ ।
- २४. बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने :** यस ऐनको कार्यान्वयनका क्रममा कुनै बाधा अड्काउ पर्न गएमा बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि कार्यपालिकाले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

अनुसूची- १
 (दफा २ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
सम्पत्तिकर तथा भुमिकर(मालपोत)

सम्पत्ती करको दर :

| करयोग्य सम्पत्तिको मूल्य | बार्षिक दर |
|---|---------------------------|
| ५ लाख रुपैयाँसम्मको मूल्यांकनमा | एक मुष्ठ रु.५० (पचास) |
| ५ लाख १ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म | प्रति लाख रु.१० (दश) |
| ५० लाख १ देखि १ करोड रुपैयाँसम्म | प्रति लाख रु.२० (वीस) |
| १ करोड १ देखि २ करोड रुपैयाँसम्म | प्रति लाख रु.२५ (पच्चस) |
| २ करोड १ रुपैयाँदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म | प्रति लाख रु.३० (तीश) |
| ३ करोड १ रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म | प्रति लाख रु.४५ (पैतालिस) |
| ५ करोड भन्दा माथि | प्रति लाख रु.५० (पचास) |

नोट : मूल्यांकन रकमलाई रु. लाखमा (round figure)मा परिणत गरी करको दर निर्धारण हुनेछ ।

माथि उल्लिखित दरको आधारमा लाग्ने करको उदाहरण :

| मूल्यांकन लाखमा | करको दर | कर रकम |
|-----------------|---------|--------|
| ५० | १० | ५०० |
| १०० | २० | २००० |
| २०० | २५ | ५००० |
| ३०० | ३० | ९००० |
| ५०० | ४५ | २२५०० |
| १००० | ५० | ५०००० |
| १५०० | ५० | ७५००० |

● सम्पत्तिकरमा लागु हुने संरचनाको मूल्यांकनदर :-

| क्र.सं. | संरचनाको प्रकार | प्रति वर्ग फिट मूल्य रु. (बसोबास) | प्रति वर्ग फिट मूल्य रु. (व्यापारिक, आद्योगिक तथा संस्थागत) |
|---------|---|-----------------------------------|---|
| १ | आर.सि.सि. फ्रेम स्टक्चर | ८०० | १००० |
| २ | सिमेण्ट जोडाईमाइट्रावा ढुङ्गाको गारो - आर.सि.सि. छाना | ५०० | ७०० |
| ३ | माटोको जोडाईमाइट्रावा ढुङ्गाको गारो - आर.सि.सि. वा सिमेण्ट जोडाईमाइट्रावा ढुङ्गाको गारो - जस्ता/टायलको छाना | २०० | ४०० |
| ४ | माटोको जोडाईमाइट्रावा ढुङ्गाको गारो - जस्ता/टायलको छाना | १७५ | २५० |
| ५ | सेड वा कच्ची घर | १२५ | २०० |

नोट : जग्गाको मूल्याङ्कनको हकमा मालपोत कार्यालयले जग्गा रजिस्ट्रेशन प्रयोजनको लागी स्विकृत गरेको न्यूनतम मूल्याङ्कन दररेटमा नघटने गरी मूल्याङ्कन समितिको सिफारिस समेतका अधारमा करदाताको स्वयं घोषणा प्रणाली अनुसार मूल्याङ्कन गरिने छ ।

सम्पत्तिकरमा लागु हुने संरचनाको हासकट्टीदर (प्रतिशतमा)

| संरचनाको किसिम → ↓ संरचनाको आय | आर.सि.सि . फ्रेम स्टक्चर | सिमेण्ट जोडाईमाइट्रावा दुङ्गाको गारो - आर.सि.सि. छाना | माटोको जोडाईमाइट्रावा दुङ्गाको गारो - आर.सि.सि. वा सिमेण्ट जोडाईमाइट्रावा दुङ्गाको गारो - जस्ता/टायलको छाना | माटोको जोडाईमाइट्रावा दुङ्गाको गारो - जस्ता/टायलको छाना | सेड वा कच्ची घर |
|---|--------------------------|---|---|---|-----------------|
| १ - ३ वर्ष | ६ | ९ | १२ | १५ | २० |
| ३- ६ वर्ष | १२ | १८ | २४ | ३० | ४० |
| ६- ९ वर्ष | १८ | २७ | ३६ | ४५ | ६० |
| ९- १२ वर्ष | २४ | ३६ | ४८ | ६० | ८० |
| १२- १५ वर्ष | ३० | ४५ | ६० | ७५ | ९० |
| १५- १८ वर्ष | ३६ | ५४ | ७२ | ९० | ९० |
| १८- २१ वर्ष | ४२ | ६३ | ८४ | ९० | ९० |
| २१- २४ वर्ष | ४८ | ७२ | ९० | ९० | ९० |
| २४- २७वर्ष | ५४ | ८१ | ९० | ९० | ९० |
| २७- ३० वर्ष | ६० | ९० | ९० | ९० | ९० |
| ३०- ३३ वर्ष | ६६ | ९० | ९० | ९० | ९० |
| ३३- ३६ वर्ष | ७२ | ९० | ९० | ९० | ९० |
| ३६- ४० वर्ष | ७८ | ९० | ९० | ९० | ९० |
| ४०- ४३ वर्ष | ८४ | ९० | ९० | ९० | ९० |
| ४३- ४६ वर्ष | ९० | ९० | ९० | ९० | ९० |
| ४६ भन्दा माथि | ९० | ९० | ९० | ९० | ९० |

अनुसूची-१ (क)
(दफा २ को उपदफा (२) संग सम्बन्धित)

मालपोत तथा भूमिकर :

| सि. नं. | वडा नं. | सम्पत्तीकर लागेको जग्गा बाहेकको अन्य जग्गाहरूको दररेट प्रतिकट्टा क्षेत्र अनुसार | | |
|------------|--------------------------|--|--------------|-----------------------|
| | | व्यवसायिक क्षेत्र | आवास क्षेत्र | कृषि तथा अन्य क्षेत्र |
| १ | १, २, ५, ६, ७, ८, ९ र १७ | रु.७०।- | रु.६०।- | रु.४०।- |
| २ | ३, ४, १०, ११, २ १६ | रु.६०।- | रु.५०।- | रु.३०।- |
| ३ | १२, १३, १४ र १५ | रु.५०।- | रु.४०।- | रु.२५।- |

नोट : भूमिकर(मालपोत)को वक्यौताको एकमुष्ट रकममा ३३ प्रतिशत जरीबाना लाग्नेछ ।

अनुसूची-२
(दफा ३ संग सम्बन्धित)
घर, जग्गा बहाल कर

घर, जग्गा बहाल कर :

नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, सेड, छप्पर, कारखाना, जग्गा र पोखरी पुरै वा आशिंक रूपमा बहाल वा भाडामा व्यापारीक, व्यवसायिक, कार्यालय प्रयोजन वा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागी दिइएकोमा सम्बन्धित घर तथा जग्गाधनीबाट वा वहाल सम्झौतामा उल्लेख भएको पक्षबाट मासिक वा बार्षिक रूपमा बहाल रकमको एकमुष्ट

१० प्रतिशत

- वहाल सम्झौतामा अर्को व्यवस्था भएकोमा वाहेक वहाल कर तिर्ने दायित्व घर/जग्गा धनिको हुनेछ ।

अनुसूची-३
 (दफा ४ संग सम्बन्धित)
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण दस्तुर

व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण दस्तुर :

| क्र.सं. | पुँजि लगानी (रु.) | दर्ता शुल्क (रु.) | कैफियत |
|---------|-------------------|-------------------|--------|
| १. | ५ लाखसम्म | ५०००।०० | |
| २ | १० लाखसम्म | ७०००।०० | |
| ३ | २० लाखसम्म | ८०००।०० | |
| ४ | ५० लाखसम्म | १००००।०० | |
| ५ | १ करोडसम्म | १५०००।०० | |
| ६ | ३ करोडसम्म | २००००।०० | |
| ७ | ३ करोड भन्दा माथी | २५०००।०० | |

पुनर्श्च :

- प्रत्येक वर्ष नविकरण गर्दा दर्ता शुल्कको २५ प्रतिशत शुल्क लिई नविकरण गरिनेछ ।
- सुर्तिजन्य, मदिराजन्य, औधोगिक रसायन उत्पादन तथा विक्रिवितरण गर्ने, क्रशर उद्योग र ईट्टा भट्टाको हकमा ५० प्रतिशत थप व्यवसाय दर्ता र नविकरण दस्तुर अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछ ।
- बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको लागी व्यवसाय दर्ताको ७५ प्रतिशत शुल्क लिई नविकरण गरिनेछ।
- पुँजी बृद्धि गर्दा अविल्लो र बृद्धि हुने दर्ता शुल्कको फरक शुल्क लिने ।
- व्यवसाय नविकरण बक्यौतामा १०% जरिबाना लाग्नेछ ।

अनुसूची-४
 (दफा ५ संग सम्बन्धित)
 कवाडी संकलन तथा निकासी कर

| सि.नं. | विवरण | दर रेट |
|--------|------------------------|--------------------------------|
| १ | कवाडी संकलन तथा निकासी | प्रति के.जि. रु.०।५० (५० पैसा) |

नोट : वस्तु वर्गिकरण र करको दररेटको अन्य व्यवस्था नगर कार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ ।

अनुसूची-५
 (दफा ६ संग सम्बन्धित)
साना सवारी दर्ता, वार्षिक नविकरण र रूट ईजाजत दस्तुर

(क) साना सवारी दर्ता तथा वार्षिक नविकरण दस्तुर :

| सि.न. | सवारीको प्रकार | वार्षिक दस्तुर (दर्ता तथा नविकरण दस्तुर) | रूट ईजाजत दस्तुर |
|-------|----------------------------------|---|---|
| १ | अटो/विद्युतिय रिक्सा (प्रतिगोटा) | रु.५००।- | क) क्षेत्र तोकिएकोमा रु.१००।०० ख) नगर क्षेत्रभरिको ईजाजतको लागि रु.५००।०० |
| २ | ठेलागाडा, रिक्सा | रु.१००।- | ०० |

पुनश्च: क) प्रदेश कानूनमा तोकिएकोमा सोहि बमोजिम हुनेछ ।

अनुसूची-६
(दफा ७ संग सम्बन्धित)
विज्ञापन कर

होर्डिङ बोर्ड लगायतसँग सम्बन्धित विज्ञापन कर :

| | | |
|----|---|---------|
| १ | डिजिटल बोर्ड, थ्रि डि बोर्ड, ग्लो बोर्ड प्रति वर्ग फिट | २००।०० |
| २ | लाइट होर्डिङ बोर्ड, ACP बोर्ड प्रति वर्ग फिट | १५०।०० |
| ३ | होर्डिङ बोर्ड/ Wall बोर्ड, Highway बोर्ड प्रति वर्ग फिट | ७०।०० |
| ४ | डि.पि.एस. बोर्ड प्रति वर्ग फिट | ५०।०० |
| ५ | भित्ते लेखन, स्टर पेन्टिङ प्रति वर्ग फिट | २५।०० |
| ६ | पोल बोर्ड आर्थिक (प्रति पोल/प्रति पिस) | १०००।०० |
| ७ | पोल व्यानर १ हसा (प्रति पोल/प्रति पिस) | २००।०० |
| ८ | छाता, प्लेन्जर, बेलुन (प्रति हसा) | ५००।०० |
| ९ | माइक्रो विज्ञापन (प्रति दिन) | १००।०० |
| १० | सवारी साधन लेखि/बोकी गर्ने विज्ञापन (प्रति दिन) | १००।०० |
| ११ | स्टल (प्रति हसा) | ५००।०० |

नोट : नगरपालिकाले तोकेको स्थानमा मात्र अनुमति लिई उल्लेखित विज्ञापनजन्य बोर्ड र सामग्रीहरू राख्न पाइनेछ।

अनुसूची-७
 (दफा द संग सम्बन्धित)
मनोरञ्जन कर

मनोरञ्जन कर : मधेश प्रदेश कानूनले निर्धारण गरे बमोजिम अशुल उपर गर्ने ।

| सि.न. | विवरण | करको दर | कैफियत |
|-------|--|------------------------------|--------|
| १ | चलचित्र प्रदर्शन गर्दा दर्शकहरुको प्रवेश शुल्कमा | ५% | |
| २ | साँस्कृतिक प्रदर्शन, दोहोरी साँझ, डान्सबार, कन्सट, नाटकघर, भिडियोघर, थियटर, पार्क आदीको प्रवेश शुल्कमा | ५% | |
| ३ | केवल व्यवसाय | प्रति ग्राहक मासिक रु.५।- | |
| ४ | मेला (सर्कस, खेल समावेश मेला, जादु, चटके) | | |
| | १ दिनको | रु.२,०००।- | |
| | २ देखी ७ दिन सम्म | रु.१०,०००।- | |
| | ८ देखी १५ दिन सम्म | रु.१५,०००।- | |
| | १६ देखी ३० दिन सम्म | रु.२०,०००।- | |
| | ३० दिन भन्दा बढी | रु.५०,०००।- | |

अनुसूची- ८
 (दफा ९ संग सम्बन्धित)
बहाल विटौरी कर

बहाल विटौरी कर :

| सि. नं. | विवरण | करको दर |
|------------|--|--------------------|
| १ | अस्थायी आवास प्रयोजनको लागी घरको हकमा | सम्पत्ति करको दरमा |
| २ | कृषि तथा अन्य प्रयोजनको लागी प्रति कठ्ठा | भूमि करको दरमा |
| ३ | हाटबजारमा अस्थाई सौचालय, घुस्ती वा स्टल/गाडीमा राखी सेवा प्रदान गर्नेलाई दैनिक रु.५०।- | |

अनुसूची-८ (क)
(दफा ९ संग सम्बन्धित)
बहाल विटौरी शुल्क

विभिन्न हाट बजार तथा अन्य बजारको बहाल विटौरी शुल्कको दर :

१. गोरु बजार, नवलपुर अन्तर्गत कायम भएको दररेट :

| सि.नं. | विवरण | दररेट रु. | कैफियत |
|--------|---|-----------|--------|
| १ | बाच्छा, बाच्छी, पाडा, पाडी प्रतिगोटा किन्ने संग | १७५ | |
| २ | बाच्छा, बाच्छी, पाडा, पाडी प्रतिगोटा बेच्ने संग | १७५ | |
| ३ | गाई, गोरु, राँगा, भैंसी प्रति गोटा किन्ने संग | १७५ | |
| ४ | गाई, गोरु, राँगा, भैंसी प्रति गोटा बेच्ने संग | १७५ | |
| ५ | दुहुना गाई, भैंसी प्रति जोडी किन्ने संग | २०० | |
| ६ | दुहुना गाई, भैंसी प्रति जोडी बेच्ने संग | २०० | |

२. डुमदुमे तरकारी बजार (कम्पाउण्ड वाल भित्र मात्र) तथा न.पा.ले व्यवस्थापन गरेको स्थानमा र वडा नं. १ र २ बाहेकका अन्य वडामा लाग्ने थोक तथा खुद्रा तरकारी बजारको दररेट :

| सि. नं | विवरण | दररेट रु. | कैफियत |
|--------|---|-----------|--------|
| १ | भाँगा ठुलो १०० के.जि. वा सो भन्दा माथि | ४० | |
| २ | भाँगा सानो ५० के.जि. देखी ९९ के.जि. सम्म | ३० | |
| ३ | तरकारी बोरा ५० के.जि. सम्मको | २० | |
| ४ | टमाटर प्रति क्रेट | १५ | |
| ५ | खाली छिट्ठी | १ | |
| ६ | निवुवा कागती निकाशी पैठारी प्रति भाँगा | ३३ | |
| ७ | तेजपत्ता प्रतिबोरा | १२ | |
| ८ | फलफुल प्रति पसल | २० | |
| ९ | बन्कस प्रतिबोरा (तामा) | २२ | |
| १० | खोसानी प्रतिबोरा | १२ | |
| ११ | अदुवा प्रतिबोरा | १२ | |
| १२ | लसुन प्रतिबोरा | १२ | |
| १३ | टमाटर प्रति कार्टुन - हाफ | १२ | |
| १४ | टमाटर प्रति कार्टुन - फूल | १७ | |
| १५ | तरबुजा प्रतिगोटा | १ | |
| १६ | तरकारी जोख्ने काँटा प्रति बजार | ५५ | |
| १७ | तरकारी बजारमा ठेलामा दैनिक बजार गरी बस्ने | १२ | |
| १८ | तरकारी भोला ५० के.जि. सम्मको | १७ | |

**३. खसी, बाखा, एवं माछा बजार, राँगा मासु तथा सो आसपासको बजार(स्टल र सटर बाहेक),
लालबन्दी बजार (प्रति बजार, सोमबार र विहिबार)को दररेट :**

| सि.नं. | विवरण | दररेट रु. | कैफियत |
|--------|--|-----------|--------|
| १ | खसी/बाखा, पाठा/पाठी किन्ने बेच्ने दुवै पक्ष संग | ५०/५० | |
| २ | माछा प्रति पसल | १०० | |
| ३ | खसी मासु पसल प्रतिगोटा | ६० | |
| ४ | सिद्धा पसल | ३० | |
| ५ | घुँघी पसल | २० | |
| ६ | कुखुरा काटी बेच्ने प्रति पसल | ८० | |
| ७ | मासु तथा खाजा पसल | २० | |
| ८ | राँगा काटी बेच्ने प्रति गोटा | १०० | |
| ९ | सुँगुर काटी बेच्ने प्रति पसल | ५०० | |
| १० | चिउरा, आँटा, मैदा, मुरी, गुण्डा, ब्राण्ड प्रति पसल | ३० | |
| ११ | चामल, दाल प्रति पसल | ५० | |
| १२ | कुखुरा/हाँस प्रति गोटा | १० | |
| १३ | परेवा प्रति जोडी | १० | |
| १४ | अण्डा विक्री पसल | १० | |
| १५ | मिट्टा विक्री प्रति पसल | १०० | |
| १६ | खाजा नास्ता पसल | ५० | |
| १७ | विजुली तथा विद्युतिय मर्मत | ५० | |
| १८ | कुचो, नाढ्लो, डोरी, सुत्री पसल | ५५ | |
| १९ | फलफूल प्रति पसल | ५० | |
| २० | स्टल बाहिर बस्ने प्रति तरकारी पसल | ३० | |
| २१ | स्टल बाहिर बस्ने प्रति छिटी तरकारी पसल | १० | |

४. गुदरी बजार नवलपुर दररेट :

| सि.नं. | विवरण | दररेट रु. | कैफियत |
|--------|--|-----------|--------|
| १ | खसी काटी मासु बेच्ने प्रति गोटा | ४० | |
| २ | माछा प्रति हण्डी | ४० | |
| ३ | कुखुरा परेवा प्रति जोडा | १० | |
| ४ | माछा मासु पकाउने संग | २० | |
| ५ | तेल, धु, मसला | २० | |
| ६ | खुजुरा चिउरा छीटीमा बेच्ने संग | १० | |
| ७ | खुजुरा दाल बेच्ने संग | २० | |
| ८ | खुजुरा चामल बेच्ने संग | २० | |
| ९ | तरकारी प्रति गाढा (बेच्ने व्यापारीसँग मात्र) | २०० | |
| १० | खुजुरा पिठो बेच्ने संग | २० | |
| ११ | हजाम, चमार तथा छाता, लाईटर आदी बनाउने संग | १० | |
| १२ | सिद्धा बेच्ने संग | २० | |
| १३ | निवुवा, सुन्तला, अदुवा, खुर्सानी बेच्ने संग | २० | |
| १४ | आँप, लिचि, कटहर बेच्ने संग | १० | |
| १५ | अलुवा, प्याज प्रति टायर | ३० | |
| १६ | चामल, दाल आलु, प्याज प्रति बोरा | ३ | |
| १७ | भाडा पसल | २० | |
| १८ | सर्वत पसल | १५ | |
| १९ | चिया पसल | २० | |
| २० | मुरी, कचडी, मिठाई खुल्ला | २० | |
| २१ | डोरी, नाम्लो खुल्ला | २० | |
| २२ | बरफ बेच्ने संग | १० | |

| | | |
|----|---|-----|
| २३ | खेला जादुवाला संग | ४० |
| २४ | तरकारी विउ पसल | २० |
| २५ | किटनासक औषधि पसल | २० |
| २६ | माटोको भाडा | २० |
| २७ | जामुन, कुसुम, अमला बेच्ने संग | १० |
| २८ | होटल मासु, भात पसल | ३० |
| २९ | अन्न विक्री खुल्ला | २५ |
| ३० | गुण्डा, ढुटो प्रति बोरा | २० |
| ३१ | आलु, प्याज विक्री थोक | २० |
| ३२ | आलु, प्याज विक्री खुल्ला | २० |
| ३३ | मिठाई पसल | २० |
| ३४ | गुन्द्री, चटाई प्रतिगोटा | ५ |
| ३५ | पान पसल | २० |
| ३६ | मदिरा पसल | २० |
| ३७ | अलुवा प्रति पसल | १० |
| ३८ | चिठ्ठा विक्री पसल | ७५ |
| ३९ | किराना पसल बेच्ने | २० |
| ४० | कुखुरा मासु बेच्ने | २० |
| ४१ | खाली छिटी प्रति गोटा | ७ |
| ४२ | तरकारी प्रतिटायर (बेच्ने व्यापारीसँग मात्र) | १०० |
| ४३ | मसलाको विरुवा प्रतिगोटा | २ |
| ४४ | हार्डवेयर प्रति स्टल | २० |
| ४५ | साईकल मर्मत | २० |
| ४६ | मेडिकल | २० |

५. गोलभेडा, तरकारी तथा फलफुल बजार नवलपुरको दररेट :

| सि.नं. | विवरण | दररेट रु. | कैफियत |
|--------|------------------------|-----------|--------|
| १ | भाँगा ठुलो प्रति भाँगा | ४० | |
| २ | भाँगा सानो प्रति भाँगा | ३० | |
| ३ | टोकरी ठुलो प्रति टोकरी | २० | |
| ४ | टोकरी सानो प्रति टोकरी | १५ | |
| ५ | प्लाष्टिक क्रेट ठुलो | १५ | |
| ६ | प्लाष्टिक क्रेट सानो | १० | |
| ७ | कागज सुतरी | ५० | |

६. राँगा मासु तथा सुँगुर बजार नवलपुरको दररेट :

| सि.नं. | विवरण | दररेट रु. | कैफियत |
|--------|------------------------------|-----------|--------|
| १ | पडा काटी बेच्ने प्रति गोटा | १०० | |
| २ | सुँगुर काटी बेच्ने प्रति पसल | ५०० | |

७. नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेको सवारी पार्किङ स्थलमा निर्माण गरिएको सटर कोठा एवम् स्टल भाडादर:

| सि.नं. | विवरण | दररेट रु. |
|--------|---|------------|
| १ | सटर कोठा एवम् स्टल भाडा प्रतिकोठा प्रति महिना न्यूनतम | रु. २०००।- |

अनुसूची-२
 (दफा १० संग सम्बन्धित)
पार्किङ शुल्क

पार्किंग शुल्क :

नगरपालिकाले आफुले व्यवस्थापन गरेको सवारी पार्किङ स्थलमा एक पटकमा निम्नानुसार पटके पार्किङ शुल्क लिने :

| सि.नं. | विवरण | शुल्क रु. | कैफियत |
|--------|---------------------------------------|-----------|--------|
| १ | ३ पाइयो सावरीको हकमा | रु. २०।- | |
| २ | ४ पाइयो गाडिको हकमा प्रतिसवारी | रु. ३०।- | |
| ३ | ४ पाइयो माथिको गाडिको हकमा प्रतिसवारी | रु. ५०।- | |
| ४ | मोटर साईकल | रु. १०।- | |

अनुसूची-१०
(दफा ११ संग सम्बन्धित)

ट्रेकिङ, कोयोकिङ, क्यानोईंग, बन्जी जम्पिङ, जिपफ्लायर र न्याफ्टींग ईजाजत शुल्क :

| सि.नं. | विवरण | शुल्क रु. |
|--------|--------------------|------------|
| १ | केवलकार | १,००,०००/- |
| २ | प्यारागलाइंडिङ | ५०,०००/- |
| ३ | अल्ट्रालाइट फ्लाइट | ५०,०००/- |
| ४ | वॉज्जंजम्प | ५०,०००/- |
| ५ | जिपफ्लायर | ५०,०००/- |
| ६ | क्यानोनिङ | १०,०००/- |

अनुसूची-११
 (दफा १२ संग सम्बन्धित)
सेवा शुल्क, दस्तुर

(क) अन्य सेवा शुल्कको दर :

| सि.न. | सेवाको किसिम | दर रु. | कैफीयत |
|-------|--|-------------------|----------|
| १ | घर नक्सापास पुस्तिका विक्री प्रति गोटा | रु.५०० ।- | |
| २ | सर्जिमिन मुचुल्का (कार्यालय प्रयोजनको सर्जिमिन बाहेक) | | |
| | मोहि लगत कट्टा सर्जिमिन | रु.१०००।- | |
| | अन्य सर्जिमिन | रु.५००।- | |
| ३ | न्यायिक समिति निवेदन/मुद्दा दर्ता | | |
| | महिला हिंसा, द्वन्द्व पिडित र अति विपन्न वर्गलाई (निवेदनमा तोकादेश गर्ने पदाधिकारीले दस्तुर नलाग्ने भनी तोकादेश गरिए बमोजिम) | | निःशुल्क |
| | अन्य विषयमा मुद्दा दर्ता | रु.२००।- | |
| ४ | रकम कलम उठाईदिए वापत प्रतिहजार | रु.५।- | |
| ५ | न.पा. सभाहल भाडा प्रति दिन | रु.२५००।- | |
| ६ | ओभरहेड/साउण्ड सिस्टम/मल्टीमिडिया प्रतिदिन प्रतिआईटम | रु.७००।- | |
| ७ | सबै खाले निवेदन फारमहरु प्रतिगोटा | रु.१० ।- | |
| ८ | हरेक निवेदनको दर्ता शुल्क प्रतिगोटा | रु.१० ।- | |
| ९ | मिलापत्र शुल्क (मिलापत्र निर्णयको प्रतिलिपि लिँदा) | रु.२५०।- | |
| १० | घर नम्वरिङ्ग प्लेट प्रति गोटा | रु.१०० ।- | |
| ११ | न.पा. को श्रोत नक्सा A ₃ साइज प्रति गोटा | रु.५० ।- | |
| १२ | विभिन्न नक्सा ठुलो साइजको प्रतिगोटा | रु.२०० ।- | |
| १३ | विभिन्न नक्सा सानो साइजको प्रतिगोटा | रु.१०० ।- | |
| १४ | टो.वि.स. दर्ता शुल्क/नविकरण | रु.५० ।- | |
| १५ | स्थलगत प्राविधिक सेवा शुल्क | रु.५०० ।- | |
| १६ | घर निर्माणमा लाग्ने पुर्वाधार मर्मत संभार शुल्क | रु.१००० ।- | |
| १७ | घर खालि गर्ने | रु.१०००।- | |
| १८ | साँधिसिमाना छुट्याउने पहिलो किताको लागि | रु.१०००।- | |
| | त्यसपछि ५ कट्टा सम्म क्षेत्रफल भएको थप प्रतिकिता | रु.३००।- | |
| | ५ कट्टा भन्दा बढी क्षेत्रफल भएको थप प्रतिकिता | रु.५०० | |
| १९ | लेनदेन कागज प्रमाणित शुल्क | प्रतिलाख रु.१००।- | |
| २० | IEE को TOR स्वीकृत दस्तुर | रु.५०००।- | |
| २१ | IEE प्रतिवेदन स्वीकृत दस्तुर | रु.१०,०००।- | |
| २२ | व्यवासायिक प्रयोजनको लागि डिप बोरिङ ईजाजत दस्तुर | रु.३०,०००।- | |

(ख) विभिन्न प्रमाणित तथा सिफारिस दस्तुरहरु :

| सि.नं | सेवाको किसिम | दर | कैफीयत |
|-------|---|---|--|
| १ | गरिब, विपन्न, असाहाय भनि प्रमाणित गरिएको सिफारिस | | निःशुल्क |
| २ | विद्यार्थी छात्रबृत्तिको लागी गरिने सिफारिस | | निःशुल्क |
| ३ | अस्पतालको लागी गरिब तथा न्यून आय भएको भनि प्रमाणित गरिने सिफारिस | | निःशुल्क |
| ४ | सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रयोजनको लागि गरिने सबैखाले सिफारिस | | निःशुल्क |
| ५ | व्यक्तिगत घटना दर्ता (जन्म, विवाह, बसाई सराई, सम्बन्ध विच्छेद, मृत्यु दर्ता) घटना घटेको ३५ दिन भित्र | | निःशुल्क |
| ६ | व्यक्तिगत घटना दर्ता (जन्म, विवाह, बसाई सराई, सम्बन्ध विच्छेद, मृत्यु दर्ता) घटना घटेको ३५ दिन पश्चात विलम्ब शुल्क र प्रतिलिपी दस्तुर | रु. २००।- | |
| ७ | व्यक्तिगत घटना दर्ता (जन्म, विवाह, बसाई सराई, सम्बन्ध विच्छेद, मृत्यु दर्ता) प्रमाणपत्रको नक्कल दस्तुर | रु. ५००।- | |
| ८ | घरबाटो तथा चौहडी प्रमाणित आवाशिय क्षेत्र(राजमार्ग/पक्की सडक) | रु. ५००।-थप प्रति कित्ता रु. १००।- | घरबाटो वा चौहडी सिफारिसमा मुल्याङ्कन समावेश भएमा मुल्याङ्कन र सिफारिसमा जुनको बढी दस्तुर हुँच्छ सोही लाग्नेछ । |
| | आवाशिय क्षेत्र (कच्च सडक) | रु. ४००।-थप प्रति कित्ता रु. १००।- | |
| | कृषी तथा अन्य क्षेत्र | | |
| | क) बाटो भएको | रु. ३००।- थप प्रति कित्ता रु. ५०।- | |
| | ख) बाटो नभएको | रु. २००।- थप प्रति कित्ता रु. ५०।- | |
| | | | |
| ९ | नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस | रु. ५०।- बंशज रु. ५००।- अंगिकृत रु. १००।- प्रतिलिपी सिफारिस | |
| १० | जग्गा नामसारी सिफारिस | रु. ५००।- | |
| ११ | नाम, थर संशोधन सिफारिस | रु. १००।- | |
| १२ | घर कायम सिफारिस (पक्की घर) | प्रतितल्ला रु. १०००।- | |
| १३ | घर कायम सिफारिस (कच्ची घर) | रु. ३००।- | |
| १४ | घर नक्सा नामसारी | न्यूनतम ईजाजत दस्तुरको १० प्रतिशत | |
| १५ | विद्युत जडानको सिफारिस दस्तुर | | |
| | क) आवासिय/कृषि प्रयोजन | रु. १००।- | |
| | ख) व्यापारिक प्रयोजनको लागि | रु. ५००।- | |
| | ग) ३ फेज लाईन जडान सिफारिस | रु. १०००।- | |
| १६ | निजीधारा वा टेलिफोन जडान सिफारिस दस्तुर | रु. १००।- | |
| २० | बैदेशिक रोजगारको लागि सिफारिस | रु. २००।- | |
| २१ | परिवार ल्याएको/लगेको सिफारिस | रु. ३००।- | |
| २२ | विवाह प्रमाणित सिफारिस (विदेशीसँग) | रु. १०००।- | |
| २३ | नाता प्रमाणीत दस्तुर (नेपालीमा) | | |
| | मृतक सँग | रु. १००।- | |
| | अन्य सँग | रु. २००।- | |

| | | | |
|----|--|---|--|
| २४ | वसोवास प्रमाणित (वैदेशिक प्रयोजन) | रु.१०००/- | |
| २५ | वसोवास प्रमाणित (स्वेदेशी प्रयोजन) | रु.२००/- | |
| २६ | नाफामूलक संस्थां दर्ता/नविकरण / सिफारिस | रु.१०००/- | |
| २७ | सेवामूलक संस्था दर्ता/नविकरण / सिफारिस | रु.५००/- | |
| २८ | मोही नामसारी सिफारिस | रु.१०००/- | |
| २९ | ठुला उच्चोग स्थापनाको सिफारिस | रु.५०००/- | |
| ३० | मझौला उच्चोग स्थापनाको सिफारिस | रु.३०००/- | |
| ३१ | साना तथा घरेलु उच्चोग स्थापनाको सिफारिस | | |
| | साना उच्चोग | रु.१०००/- | |
| | घरेलु उच्चोग | रु.५००/- | |
| ३२ | नेपाली पेन्सन पट्टा सम्बन्धी सिफारिस | रु.१०००/- | |
| ३३ | भारतीय पेन्सन पट्टा सम्बन्धी सिफारिस | रु.१५००/- | |
| ३४ | अन्य मुलुकको पेन्सनपट्टा सिफारिस | रु.५०००/- | |
| ३५ | अपुताली सिफारिस (नेपालको लागी) | रु.५०००/- | |
| ३६ | अपुताली सिफारिस (विदेशको लागि) | रु.१५०००/- | |
| ३७ | जन्म, मृत्यु, विवाह, वसोवास प्रमाणित तथा सिफारिस | रु.५००/- | |
| ३८ | उल्लेखित बाहेकका अन्य सामान्य प्रकृतिका प्रमाणित तथा सिफारिस | रु.२००/- | |
| ३९ | सिफारिसको अंग्रेजी रूपान्तरण | रु.५००/- | |
| ४० | रुख कटान सिफारीस | | |
| | क)५० वोट सम्म | रु.२००/- | |
| | ख)१०० वोट सम्म | रु.५००/- | |
| | ग)५०० वोट सम्म | रु.१५००/- | |
| | घ)१००० वोट सम्म | रु.२५००/- | |
| | ड)१००० भन्दा वढिको लागि | रु.५०००/- | |
| ४१ | सबै लक्षितबर्ग प्रमाणित तथा सिफारिसहरु | रु.१००/- | |
| ४२ | टिकट दस्तुर | रु.१०/- (टिकट नभएमा मात्र) | |
| ४३ | छुट जग्गा दर्ता सिफारिस | १ कठासम्म रु.५००/-सोभन्दा वढी प्रति कठारा रु. १००/- | |
| ४४ | ट्रान्सफरमर जडान/ठाँउसारी सिफारिस | रु ५०००/- | |
| ४५ | भारत प्रवेशाज्ञा सिफारिस | रु २००/- | |

नोट : गरिब, विपन्न, असाहाय भनि प्रमाणित गरिएको सिफारिस, विद्यार्थी छात्रबृत्ति सिफारिस, अस्पतालको लागी गरिब भनि प्रमाणित गरिने सिफारिस र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रयोजनको लागि गरिने सिफारिसमा कुनै पर्नि दस्तुर लाग्ने छैन ।

अनुसूची-१२
 (दफा १३ संग सम्बन्धित)
जग्गा प्लाटिङ

जग्गा प्लाटिङ अनुमति

| सि.नं. | विवरण | दररेट रु. |
|--------|-------------|------------|
| १ | प्रति कठुठा | रु. ३०००/- |

नोट : १. अन्य व्यवस्था लालबन्दी नगरपालिकाको भूमि सम्बन्धी ऐन, कानून बमोजिम हुनेछ ।

अनुसूची-१३
 (दफा १४ संग सम्बन्धित)
नक्सापास दस्तुर

नक्सा पास दस्तुर

| सि.नं: | विवरण | प्रति वर्ग फिट रु. | कैफियत |
|--------|-----------------------|--------------------|--------|
| १ | व्यवसायिक भवन | रु.१२।- | |
| २ | आवासिय भवन | रु.८।- | |
| ३ | छापो, टहरा लगायत अन्य | रु.५।- | |

अनुसूची-१४
(दफा १५ संग सम्बन्धित)
सरसफाई शुल्क

सरसफाई सेवा शुल्क (फोहोरमैला संकलन सेवा पुगेको स्थानमा मात्र) :

घरको आधारमा लाग्ने

- क) एकतला घरको मासिक रु.१००/- वा वार्षिक रु.१०००/- सरसफाई शुल्क लिने ।
ख) दुई तल्ला घरको मासिक रु.१५०/- वा वार्षिक रु.१५००/-
ग) तिन तल्ला वा सो भन्दा माथिको मासिक रु.२००/- वा वार्षिक रु.२०००/-

व्यवसायमा लाग्ने :

- क) उद्योग, रिसोर्ट, अटो वर्कशेप, निजी अस्पताल, नरसिङ्होम मासिक रु.२०००/- वा वार्षिक रु.२००००/-
ख) क, ख र ग श्रेणीको होटलको क्रमशः मासिक रु.१५००/-, रु.१०००/-, रु.५००/- वा वार्षिक क्रमशः रु.१५०००/-, रु.१००००/-, रु.५०००/-
ग) डिपार्टमेन्ट स्टोर, थोक पसल, डिलर आदिमा मासिक रु.५००/- वा वार्षिक रु.५०००/-
घ) मध्यम स्तरका पसल, व्यवसाय आदिमा मासिक रु.२००/- वा वार्षिक रु.२०००/-
ड) निम्न स्तरका व्यापार, व्यवसाय, आदिमा मासिक रु.१००/- वा वार्षिक रु.१०००/-
च) गल्ला गढी, मील, कपास, कवाडि, आदिमा मासिक रु.५००/- वा वार्षिक रु.५०००/-
छ) गाडिका अटो सो रुम, रयोरेज वर्कसपका लागि मासिक रु.५००/- वा वार्षिक रु.५०००/-
ज) नीजि विद्यालयहरु

१. माविस्तर मासिक रु.१०००/-
२. नि.मा.वि. स्तर मासिक रु.७००/-
३. आधारभूत तह मासिक रु.५००/-

झ) अन्य

१. माछा/मासु पसल मासिक रु.१०००/-
२. बैंक तथा वित्तिय संस्था मासिक रु.५००/-
४. सहकारी संस्थाहरु मासिक रु.३००/-
५. फलफुल तथा तरकारी मासिक रु.५००/-

ज) यस बाहेक अन्य उद्योग, प्रतिष्ठान, व्यापारिक भवन, लगाएतका अन्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुको सेवा शुल्क नगरपालिकाको समन्वयमा सम्बन्धित संस्था तथा निकाय र साभेदार संस्था बीच आपसी छलफल तथा सहमतिको आधारमा निर्धारण गरिने छ । उपरोक्त अनुसारको सेवा शुल्कमा प्रत्येक वर्षमा बढीमा १० प्रतिशत बढ्दि गर्न कार्यपालिकाको निर्णयले सहमति दिन सक्नेछ । सरसफाई सेवा शुल्क उठाउने र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा नगरपालिकाले कुनै संस्थासंग सम्झौता वा नविकरण वा ठेक्का व्यवस्थापन आवश्यकता अनुसार गर्न सक्नेछ ।

ट) यस नगरपालिकाले कुनै संघ संस्थासंग सरसफाई सेवा शुल्क उठाउन र व्यवस्थापन गर्न सम्झौता गरेको र सो अनुसार कार्यान्वयन गरेको अवस्था नपाईएकोमा त्यस्तो संस्थालाई कालो सूचिमा राख्ने लगायतका कार्बाही अधि बढाउन सक्नेछ ।

ठ) नगरपालिकाले शुल्क संकलन गर्दा वार्षिक शुल्क मात्र अशुल गरिनेछ ।

अनुसूची-१५
 (दफा १६ संग सम्बन्धित)
भाडा दस्तुर

क) नगर सूचना केन्द्रका सामग्रीको दैनिक भाडादर :

| सि.नं. | विवरण | रकम रु. | कैफियत |
|--------|-----------------------------------|---------|--------|
| १ | मल्टीमिडिया प्रोजेक्टर | ५००.०० | |
| २ | कम्प्युटर/साउण्ड सिष्टम प्रति दिन | ७००.०० | |
| ३ | हवाइट र सफ्ट बोर्ड प्रति सेट | २००.०० | |
| ४ | लालबन्दी न.पा.को सभाहल | २५००.०० | |
| ५ | लेबल मेसिन प्रतिदिन | ५००.०० | |

ख) व्याकहो लोडर, स्काभेटर महशुल:

| सि.नं. | विवरण | प्रति घन्टा रु. | कैफियत |
|--------|--------------|-----------------|---|
| १ | व्याकहो लोडर | १००० | साधन प्रयोग गर्नेले अग्रिम रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ । भाडा न.पा. गेटबाट गएको समय देखि फिर्ता भएको समयसम्म लगबूक भरेका आधारमा लागू हुनेछ । |
| २ | स्काभेटर | २००० | |

नोट:- (क) उल्लेखित साधन प्रयोग गर्दा लाग्ने इन्धन तथा ग्रीज, ढुवानी भाडा तथा अपरेटर र हेल्परको खुराकी खर्च तथा

अतिरिक्त समयको भत्ता भाडामा लैजानेले नै व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ ।

(ख) नगरबाट सञ्चालित आयोजना उपभोक्ता समितिको हकमा नगर कार्यपालिकाले गरेको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।

अनुसूची-१६
 (दफा १८ संग सम्बन्धित)
अन्य कर, दस्तुर, सेवा शुल्कहरू

अन्य कर, दस्तुर, सेवा शुल्कहरू :

क) अचल सम्पति मूल्यांकन :-

| सि.न. | विवरण | रकम रु. |
|-------|-----------------------------------|---------|
| १ | ५ लाख सम्मको लागि | २००।- |
| २ | ५ लाख १ देखी १० लाख सम्मको लागि | ३००।- |
| ३. | १० लाख १ देखी २० लाख सम्मको लागि | ५००।- |
| ४ | २० लाख १ देखी ३५ लाख सम्मको लागि | १०००।- |
| ५ | ३५ लाख १ देखी ५० लाख सम्मको लागि | १५००।- |
| ६ | ५० लाख १ देखी ७५ लाख सम्मको लागि | २०००।- |
| ७ | ५० लाख १ देखी १ करोड सम्मको लागि | ३०००।- |
| ८ | सो भन्दा माथिको लागी प्रति लाख थप | ५।- |

ख) आयश्रोत प्रमाणित :-

| सि.न. | विवरण | रकम रु. |
|-------|-----------------------------|---------|
| १ | २ लाख सम्म | २००।- |
| २ | २ लाख १ देखी १० लाख सम्म | ५००।- |
| ३. | १० लाख १ देखी २० लाख सम्मका | ७००।- |
| ४ | २० लाख १ देखी ५० लाख सम्म | १०००।- |
| ५ | ५० लाख १ देखी ७५ लाख सम्म | १२००।- |
| ६ | ७५ लाख १ देखी १ करोड सम्म | १५००।- |
| ८ | सो भन्दा माथि | २०००।- |

ग) सार्वजनिक शौचालय उपयोग सेवा शुल्क (प्रति पटक) :

| सि.नं. | विवरण | रकम रु. | कैफियत |
|--------|---------------------------|---------|--------|
| १ | पिसाब गर्दा प्रति व्यक्ति | ५१०० | |
| २ | दिशा गर्दा प्रति व्यक्ति | १०१०० | |
| ३ | नुहाउंदा प्रति व्यक्ति | २०१०० | |

घ) लालबन्दी न.पा.भित्रका तरकारी बजारमा सवारी साधन अधिकतम प्रवेश शुल्क :

| सि.नं | विवरण | इकाई | दररेट रु. | कैफियत |
|-------|----------------------------|-----------|-----------|--------|
| १ | ठुलो ट्रक | प्रति पटक | ४०० | |
| २ | मिनि ट्रक | प्रति पटक | ३०० | |
| ३ | जिप, पिकअप, भेन, ट्रयाक्टर | प्रति पटक | १५० | |
| ४ | टेम्पो, म्याजिक, टायर | प्रति पटक | १०० | |
| ५ | बस (छत/भित्र) | प्रति पटक | १०० | |
| ६ | ई-रिक्सा, ठेला | प्रति पटक | ५० | |
| ७ | तरकारी जोखे काँटा | प्रति पटक | ७० | |

नोट :उल्लेखित प्रवेश शुल्क कृपि उपज बजार संचालक समितीको प्रशासनिक खर्च वा नगरपालिकाले तोके बमोजिम छुट्टै संकलन हुने छ ।

ड) सार्वजनिक सडक सेवा उपयोग शुल्क :

| सि.नं. | विवरण | प्रति पटक शुल्क रु. | कैफियत |
|--------|--|---------------------|--------|
| १ | बस, ट्रयाक्टर | १०० | |
| २ | ट्रक, ट्रिपर, डोजर, स्काभेटर | २०० | |
| ३ | जिप, कार, मिनिबस, मिनिट्रक, म्याजिक, माइक्रो बस | ५० | |

च) फोटोकपि/प्रतिलिपि सेवा शुल्क

| क्र.सं | विवरण | शुल्करु. |
|--------|-------------------------------------|----------|
| १ | कम्प्युटर प्रिन्टबाट प्रतिलिपि दिदा | १० |
| २ | फोटोकपि शुल्क प्रति कपि | ५ |
| ३ | नक्कल प्रमाणित दस्तूर प्रति कपि | ५ |

छ) निजि विद्यालय स्थापना/कक्षा थप/स्तरबृद्धि दस्तुर प्रतिकक्षा :

| सि.नं. | विवरण | दस्तुर रकम रु. | कैफियत |
|--------|--------------------------------|----------------|--------|
| १. | शिशु कक्षा/मन्टेश्वरी | १०,०००/- | |
| २. | कक्षा १ संचालन | २५,०००/- | |
| ३. | कक्षा २ देखी ५ सम्म प्रतिकक्षा | १५,०००/- | |
| ४. | कक्षा ६ देखी ८ सम्म प्रतिकक्षा | २०,०००/- | |
| ५. | कक्षा ९ र १० प्रतिकक्षा | २५,०००/- | |
| ६. | कक्षा ११ र १२ प्रतिकक्षा | ३०,०००/- | |

नोट : लालबन्दी नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७५ को पहिलो शंसोधनद्वारा पारित दररदेट

ज) “घ” बर्गको निर्माण व्यवसाय ईजाजतपत्र/नविकरण/प्रतिलिपी/नामसारी दस्तुर :-

| नयाँ ईजाजत पत्र दस्तुर | ईजाजत पत्र नविकरण दस्तुर | ईजाजत पत्र नविकरण थप दस्तुर | ईजाजत पत्र प्रतिलिपी दस्तुर | ईजाजत पत्र नामसारी दस्तुर |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| रु.१०,०००/- | रु.५,०००/- | रु.३,०००/- | रु.१०००/- | रु.७०००/- |

नोट : म्यादभित्र ईजाजतपत्र नविकरण गराउँदा ईजाजतपत्र नविकरण थप दस्तुरको महलमा उल्लिखित दस्तुर मात्र लिईनेछ।

ज) स्वास्थ्य संस्था ईजाजत दस्तुर :-

| सि.नं. | संस्थाको किसिम | स्थापनाको लागि दस्तुर | नविकरणको लागि दस्तुर |
|--------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| १ | अस्पताल तथा नर्सिङ्ग होम | रु.१०,०००/- | रु.१,०००/- |
| २ | डायग्नोस्टिक सेन्टर | रु.१०,०००/- | रु.१,०००/- |
| ३ | पोलिक्लिनिक क्लिनिक | रु.१०,०००/- | रु.१,०००/- |
| ४ | आयुर्वेद अस्पतालको वैकल्पिक चिकित्सा | रु.२,०००/- | रु.५००/- |
| ५ | आयुर्वेद क्लिनिक | रु.५,०००/- | रु.५००/- |

अनुसूची-१७
(दफा १९ संग सम्बन्धित)
दण्ड जरिवाना

दण्ड जरिवाना :

| सि.नं. | विवरण | जरिवाना रकम रु. | कैफियत |
|--|--|--|---|
| १ | सम्पत्ति करको बक्यौतामा | १ वर्षको बक्यौतामा सोको १५%, १ वर्षभन्दा बढीको बक्यौतामा प्रतिवर्ष २०% ५ वर्षसम्म सम्पत्ति कर भुक्तानी नगर्ने करदाताका नाममा रहेको घरजग्गा रजिस्ट्रेसन रोक्का राखी कारबाही गरिनेछ । | (सम्पत्तिकर व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७६ अनुसार) |
| २ | भूमिकर(मालपोत) को बक्यौताको एकमुष्ट रकममा | ३३% | |
| ३ | व्यवसाय करको बक्यौता रकममा | १०% जरिवाना लाग्नेछ । | |
| ५ | प्राकृतिक श्रोत संकलन एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी (दहन्तर बहन्तर शुल्क) : अनुमति वेगर नतोकिएको क्षेत्र वा निषेधित समयमा खोला तथा प्राकृतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेमा लाग्ने जरिवाना प्रतिपटक | क)ट्रायाक्टर- रु.५ हजार। ख)ट्रक/ट्रिपर ६ चक्के-रु.१० हजार। ग)ट्रक/ट्रिपर १० चक्के- रु.१५ हजार। घ)व्याकहो लोडर JCB-रु.२० हजार। ड)स्कार्भेटर(चेनवाला)-रु.२५ हजार। | |
| ६ | बहाल बिटौरी शुल्क : बहालबिटौरी शुल्क संकलनको लागी नगरपालिकाले ठेक्का व्यवस्थापन गरी ठेक्का लगाएको क्षेत्रमा ठेकेदारले सम्भौतामा तोकेको क्षेत्र तथा तोकिएको दररेट भन्दा बढी संकलन गरेमा | क) प्रथम पटकको लागी रु.१० हजार, ख) त्यस प्राइछ प्रति पटक दोब्बरका दरले तेश्रो पटकसम्म जरिवाना लाग्ने ग) चौथो पटक पनि उक्त कार्य गरे कालोसूचिमा राखी थप कार्वाही गर्ने | |
| ७ | नगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता नगरी व्यवसाय संचालन गर्ने व्यवसायी सँग | लाग्ने दर्ता शुल्कको दोब्बर । | |
| ८ | नगरक्षेत्रका व्यवसायिहरूले आफ्नो व्यवसाय गर्ने स्थानमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यसूची नराखेको पाईएमा | प्रथम पटक रु.१००/- र सो पश्चात रु.५००/- जरिवाना गर्दै थप कार्वाही गरिनेछ। | |
| ९ | यस ऐन बमोजिम नगरपालिकाले तोकेको कानून बमोजिमको कर संकलन, दाखिला एवं राजश्व परिचालनमा बाधा, विरोध गर्नेलाई | पर्हिलो पटक सचेत गराउने, पुनः त्यस्तो प्रवृत्ति देखाउनेलाई एकमुष्ट रु.५ हजार जरिवाना गर्ने र फेरी दोहोच्याएमा पटके दोब्बर रूपले जरिवाना अशुल उपर गर्दै थप कार्वाही गर्ने | |
| १. नगरपालिकाले तोकेको नियम कानून विपरित कार्य गर्ने व्यक्ती तथा संस्थाहरूलाई यस ऐनमा तोकिए बमोजिम तथा नतोकिएकाको हकमा कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिमको दण्ड जरिवाना गरिनेछ । २. प्रचलित कानूनमा तोकेको दण्ड जरिवाना सोही अनुसार हुनेछ । | | | |

धन्यवाद ।